न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 66/2023

भंवरलाल रेगर पुत्र मालाराम जाति रेगर निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. नेमाराम पुत्र मुनाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. किशनाराम पुत्र मुनाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. मैनादेवी पत्नि हीराराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. टीकुराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. तेजाराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. भंवरी पुत्री हीराराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. सुवटी पत्नि श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. कोजुराम पुत्र श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. छगनाराम पुत्र श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. राजुराम पुत्र श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
12. हुलासी पुत्री श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
13. तुलछा पुत्री श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
14. किशना पुत्री श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
15. कमला पुत्री श्यामाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 03/12/2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 365 तीन सौ पेंसठ तादादी 7.8281 सात दशमलव आठ दौ आठ एक हेक्टेयर वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी की 1084/11183 एक हजार चौरासी बट्टा ग्यारह हजार एक सौ तियासी हिस्सा भूमि है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10.3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 16 सोलह के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साण्डवा खसरा संख्या 365 तादादी 7.8281 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1084/11183 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 1084/11183 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
भंवरलाल बनाम छोटूराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साण्डवा खसरा संख्या 365 तादादी 7.8281 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1084/11183 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 1084/11183 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज....—.........मुबलिग.........—.........बाबत.........—.........खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह....—.......
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक..........—..........को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....03/12/2024.....

मुहर

दस्तखत ....उपखण्ड अधिकारी....
ओहदा ....बीदासर (चूरू)....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)